पत्रांक–9/नि0–01–03/2014, सा0प्र0–5806/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

श्री नीरज कुमार,
प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
श्री ओम प्रकाश,
प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
श्री चितरंजन शर्मा,
प्रशाखा पदाधिकारी, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 7.5.18

विषयः– **उत्कृष्ट खिलाड़ियों के आवेदनों की जाँच के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की दिनांक–11.04.2018 की बैठक की कार्यवाही (प्रति संलग्न) की कंडिका–4 के अनुपालन में विभागीय आदेश संख्या–140 दिनांक–15.05.2017 द्वारा श्री दयानिधान पाण्डेय, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में गठित उप समिति द्वारा दिनांक–12.03.2018 की बैठक में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु दिनांक–25.06.2015 को प्रकाशित विज्ञापन से पूर्व आयोजित लगातार तीन ओलम्पिक गेम्स अथवा कॉमनवेल्थ गेम्स अथवा एशियन गेम्स में शामिल खेल विधाओं एवं उनसे संबंधित भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध राष्ट्रीय खेल संघों को चिन्हित किया गया है। उक्त उप समिति का प्रतिवेदन संलग्न है।

2. चयन समिति की दिनांक–11.04.2018 की बैठक की कार्यवाही (प्रति संलग्न) की कंडिका–4 के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–10957 दिनांक–25.08.2017 द्वारा गठित तीन सदस्यीय उप समिति को, श्री दयानिधान पाण्डेय, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में गठित उप समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग में प्राप्त खिलाड़ियों के आवेदनों की जाँच कर प्रतिवेदन प्रधान सचिव–सह–अध्यक्ष, चयन समिति को उपलब्ध कराया जाना है।

3. विभागीय आदेश संख्या–25.08.2017 द्वारा गठित उप समिति में श्री मो0 मुर्तजा, प्रशाखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को शामिल किया जाता है।

4. उक्त कार्यवाही की कंडिका–4 (i) ii से संबंधित मेधा सूची चयन समिति के सदस्य सर्वश्री, श्री अरविन्द पाण्डेय, महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना एवं श्री बलबीर यादव, उप निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना की देख–रेख में तैयार की जायेगी।

अत: अनुरोध है कि चयन समिति की दिनांक–11.04.2018 की बैठक की कार्यवाही की कंडिका–4 के निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभाग में प्राप्त खिलाड़ियों के आवेदन की जाँच कर अपना प्रतिवेदन शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–
1. चयन समिति की दिनांक–11.04.2018 की बैठक के कार्यवाही की प्रति।
2. उप समिति की दिनांक–14.03.2018 का प्रतिवेदन (अनु0 सहित) की प्रति।
3. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–503, दिनांक–22.12.2015 द्वारा गठित पाँच सदस्यीय उप समिति द्वारा दिनांक–27.12.2016 को समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति।

विश्वासभाजन

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/नि0–01–03/2014, सा0प्र0–............/ पटना–15, दिनांक............

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग एवं पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार,/श्री अरविन्द पाण्डेय, महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना/श्री बलबीर यादव, उप निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/उप

सचिव, प्रभारी प्रशाखा–9, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ /प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं श्री मो0 मुर्तजा, प्रशाखा पदाधिकारी–9, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

11

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

आ0संख्या–9/नि0–01–03/2014, सा0प्र0 5791 /पटना–15, दिनांक 7.5.18

बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु गठित उप समिति के निम्नांकित सदस्यों को दिनांक–09.05.2018 से 11.05.2018 (तीन दिनों) तक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग में प्रतिनियुक्त किया जाता है:–

I. श्री नीरज कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

II. श्री ओम प्रकाश, प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

III. श्री चितरंजन शर्मा, प्रशाखा पदाधिकारी, पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना।

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/नि0–01–03/2014, सा0प्र0 5791 /पटना–15, दिनांक 7.5.18

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त पदाधिकारियों को तत्काल विरमित करने की कृपा की जाय।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/नि0–01–03/2014, सा0प्र0 5791 /पटना–15, दिनांक 7.5.18

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।